देश में 12 साल में सबसे ज्यादा बारिश

- यूपी के 45 जिलों में बाढ़, जनजीवन अस्त-व्यस्त
- लखनऊ, अयोध्या में स्कूल बंद; 12 लोगों की मौत

नईदिल्ली, 4 अगस्त. देशभर में मानसून इस बार राहत से ज्यादा आफत लेकर आया है. मौसम एजेंसियों के अनुसार, बीते 12 सालों में पहली बार जून और जुलाई में सामान्य से 4.1 फीसदी अधिक बारिश हुई है.

कई राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाएं सामने आई हैं, जिससे अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है श इस समय भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में है. जानकारी अनुसार, जून में 9 फीसदी और जुलाई में 5 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई है 2013 के बाद यह पहला मौका है जब लगातार दो महीने सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है इसके चलते उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में हालात बिगड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में बाढ़ ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. लखनऊ, अयोध्या और अंबेडकरनगर में स्कूलों को बंद कर दिया गया है पिछले 24 घंटे में राज्य में 12 लोगों की मौत हो चुकी है. उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं रुद्रप्रयाग में दो दुकानें मलबे में दब गईं, वहीं देहरादून में स्कूल बंद कर दिए गए हैं सरकार ने नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है.

दिल्ली से लेकर बिहार तक दिखा बाढ़ का तांडव

बेतिया में झमाझम बारिश ने पूरे शहर को जलजमाव की चपेट में ले लिया है बारिश के कुछ ही घंटों में कई इलाकों में स्थिति गंभीर हो गई और एक शख्स अपनी मोटरसाइकिल के साथ खुले मैनहोल में जा गिरा वाराणसी में सावन के महीने में लगातार भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया है वरुणा नदी भी उफान पर है, जिससे आसपास के रिहाइशी इलाकों में पानी घुस गया है बलिया में गंगा नदी के कटान से तटीय इलाकों में मौजूद घरों पर संकट मंडरा रहा है.

महाराष्ट्र के संभाजीनगर में मानसून संकट

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में जून से लेकर सितंबर के बीच वर्षा सामान्य के मुकाबले 50.1 प्रतिशत होने के कारण मानसून संकट पैदा हो गया है. जिले के नौ तहसीलों में जून से जुलाई के बीच 104.8 प्रति. बारिश हुई, लेकिन अगस्त में 184.2 एमएम अपेक्षित वर्षा की तुलना में केवल 16.6 एमएम वर्षा हुई। हालांकि कन्नाड तहसील अपवाद रहा. यहाँ जून से जुलाई के बीच 147.6 प्रतिशत और अगस्त में 72.8 प्रतिशत वर्षा हुई.

हरिद्वार भी अयोध्या जैसे दिखेगा : धामी

ऋषिकेश-हरिद्वार कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित

हरिद्वार, 4 अगस्त. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को राज्य में ऋषिकेश-हरिद्वार कॉरिडोर का निर्माण कराया जाना भी प्रस्तावित है.

कॉरिडोर के निर्माण के पश्चात धर्मनगरी हरिद्वार भी काशी और अयोध्या की भांति अपने भव्य स्वरूप में नजर आएगी धामी ने यहां ब्रह्म निवास आश्रम, सप्तसरोवर रोड, भूपतवाला में 50वां निर्वाण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया. उन्होंने कहा कि पूज्य सतगुरू लाल दास महाराज ने अपने जीवन में आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देते हुए समाज को सेवा, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया उन्होंने भक्ति को जन जन तक पहुंचाया है उनकी वाणी में अद्भुत शक्ति थी और दृष्टि में भगवान बुद्ध के समान असीम करुणा थी पूज्य सतगुरु ने समाज को जोड़ने का काम किया उन्होंने जीवन भर यही सिखाया कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है धामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति का संपूर्ण विश्व में व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है दुनिया हमारी प्राचीन संस्कृति और दर्शन से परिचित हो रही है.

राज्य सरकार देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है.

एक नजर में

सिरोही हादसा : दीवार गिरने से मजदूरों की मौत

सिरोही, 4 अगस्त. एक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया. इस हादसे में तीन मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया. राजस्थान के सिरोही में एक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया. इस हादसे में तीन मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया. मृतकों के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है. उधर हादसे की जानकारी पर जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी, एसपी प्यारेलाल समेत कई बड़े अफसर घटनास्थल पर पहुंचे. हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. जानकारी के अनुसार, हादसा सिरोही के पिंडवाड़ा उपखंड के भारजा गांव में हुआ है. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि जिस समय हादसा हुआ है, उस मकान में निर्माण कार्य चल रहा था. अचानक मकान की दीवार ढहने से करीब 8 लोग मलबे में दब गए. हादसे के तुरंत बाद मलबा हटाकर नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला गया और तुरंत आबू रोड अस्पताल रेफर किया गया है. अस्पताल में तीन लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है.

मेक्सिको की जेल में सात कैदियों की मौत

मेक्सिको सिटी, 4 अगस्त. मेक्सिको के पूर्वी राज्य वेराक्रूज़ के टक्सपैन शहर में शनिवार को एक जेल में हुए दंगे में कम से कम सात कैदियों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए. राज्य के लोक सुरक्षा सचिवालय ने रविवार को यह जानकारी दी. सचिवालय ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि दंगे के बाद रविवार सुबह राष्ट्रीय रक्षा और राज्य के लोक सुरक्षा सचिवालय के कर्मियों के साथ राष्ट्रीय गार्ड के जवानों ने जेल पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया. पोस्ट में कहा गया दंगे के परिणामस्वरूप सात कैदियों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत की सूचना मिली है, साथ ही 11 लोग घायल भी हुए हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है. सचिवालय ने कहा कि जेल में दंगे पर नियंत्रण कर लिया गया और कई कैदियों को पानुको शहर की एक जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है. वेराक्रूज़ राज्य सरकार ने अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय में सुशासन और जेलों में सुरक्षा स्थितियों में सुधार के लिए प्रतिबद्धता दोहराई.

ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक और सफल रहा है : विजेंद्र

नई दिल्ली, 4 अगस्त. दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर ऐतिहासिक रूप से निर्णायक और सफल रहा है. गुप्ता ने विधानसभा में आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सशस्त्र सेनाओं ने सीमा पार आतंकवादी ठिकानों को लक्ष्य बनाते हुए उनको नेस्तनाबूत कर दिया. इस ऑपरेशन का बहुत कुशलता और संयम के साथ क्रियान्वयन हुआ, जिससे भारत की कुशल और मजबूत सैन्य क्षमता को पूरी दुनिया ने देखा। इस अभियान ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत किसी भी आतंकी कार्रवाई को सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा, ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल तीन आतंकियों को श्रीनगर में मार गिराया गया।

बघेल की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली, 4 अगस्त. उच्चतम न्यायालय ने 2160 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाला समेत अन्य मामलों से जुड़े संबंधित धन शोधन के आरोपों में घिरे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को सोमवार को कोई राहत न देते हुए उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने हालांकि पिता-पुत्र से कहा कि वे इस मामले में पहले उच्च न्यायालय या निचली अदालत के समक्ष राहत की गुहार लगा सकते हैं. गौरतलब है कि इससे संबंधित धन शोधन के मामले में चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार किया था.

अवैध अप्रवासियों के फर्जी पहचान पत्र बनाए, दंपति गिरफ्तार

मुंबई, 4 अगस्त. मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने एक दंपती को शहर में अवैध रूप से रह रहे बंगलादेशी नागरिकों को फर्जी भारतीय पहचान पत्र उपलब्ध कराने के लिए बनाए गए जाली दस्तावेज़ नेटवर्क का संचालन करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुरुषोत्तम प्रसाद शर्मा (57) और उनकी पत्नी मंजू पुरुषोत्तम शर्मा (42) उर्फ मंजू को विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर उनके घर पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके आवास की तलाशी के दौरान लैपटॉप, कई सिम कार्डों से लैस चार मोबाइल फोन, दो जाली आधार कार्ड, अलग-अलग पहचान वाले दो पैन कार्ड और मंजू शर्मा के नाम से जारी एक मतदाता पहचान पत्र सहित महत्वपूर्ण सबूत जब्त किए.

SOUTH INDIAN Bank

शाखा पताः UG2, 3, 4, रॉयल व्यू FF27, 28, मंगल मैरीलैंड गार्डन्स के सामने, स्कीम संख्याः 54, विजय नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश 452010 शाखा ईमेल आईडीः br0442@sib.co.in

बैंक में बंधक के लिए सोने की नीलामी

चूँकि, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने उधारकर्ता से उसके द्वारा लिए गए स्वर्ण ऋण की बकाया राशि चुकाने के लिए बिक्री सूचना (सूचनाएँ) जारी की हैं। उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहा है, अतः उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा सोने के आभूषणों की ऑनलाइन नीलामी **"जैसा है वैसा है" और "जो भी है" तथा "बिना किसी सहायता के"** आधार पर की जाएगी। यह नीलामी https://egold.auctiontiger.net के माध्यम से 06.08.2025 को दोपहर **12:00 बजे से 03:00** बजे तक उधारकर्ता **श्री सूरज प्रसाद पांडे,** खाता संख्या **0442653000002789 और 0442653000002788** के लिए ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए कृपया ऑक्शन टाइगर से **6352632523** पर संपर्क करें।

एसडी/- प्रबंधक
द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड।

मुथूट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड

Muthoot Finance

कॉर्पोरेट कार्यालयः यूनिट नंबर 19-एनई, 19वीं मंजिल, द रूबी, सेनापति बापट मार्ग, रूपारेल कॉलेज के पास, दादर (पश्चिम). मुंबई, महाराष्ट्र - 400 028

मांग पत्र

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित।

अधोहस्ताक्षरी, प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियमए 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत मुथूट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड (एमएचआईएल) के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमए 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए. प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता/ओं (उक्त उधारकर्ता) को. उन्हें जारी किए गए संबंधित मांग नोटिस/सूचना में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दी गई हैं। उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर उक्त उधारकर्ता को इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर, नीचे दर्शाई गई राशियों का भुगतान एमएचआईएल को करने के लिए कहा जाता है, साथ ही उक्त डिमांड नोटिस में बताए अनुसार 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से अतिरिक्त ब्याज भी, नीचे उल्लिखित तिथियों से लेकर भुगतान और/या वसूली की तिथि तक, उक्त उधारकर्ताओं द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों के साथ पढ़े गए ऋण समझौते के तहत देय होगा। ऋण की उचित चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप मेंए उक्त उधारकर्ताओं द्वारा एमएचआईएल को क्रमशः निम्नलिखित संपत्तियां गिरवी रखी गई हैं।

स. क्र.	उधारकर्ता (ओं) का नाम/ सहा. उधारकर्ता (ओं)/ लोन खाता संख्या/शाखा	कुल बकाया राशि (रु.)	डिमांड नोटिस की तिथि	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
1.	मनोहर/ गिरधारी लीलाबाई /011-01100560 आईएनडी-एचएल-001980/ इंदौर	रु. 4,57,946/- रु. चार लाख सत्तावन हजार नौ सौ छियालिस मात्र	21 जुलाई 2025	प्लाट नं. 108, पटवारी हलका नंबर 56, ग्राम बोडानी ग्राम पंचायत बांसखेड़ी, तेह. व जिला उज्जैन (म.प्र.), पिनकोड-456550 उत्तर-मेहखान का मकान, दक्षिण- करनसिंह का मकान, पूर्व -रोड एवं मनोहर का प्लाट, पश्चिम- खुली भूमि.

यदि उक्त उधारकर्ता एमएचआईएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैंए तो एमएचआईएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफकार्यवाही करेगा, जो पूरी तरह से उक्त उधारकर्ताओं के लागत और परिणामों के जोखिम पर होगी।

उक्त उधारकर्ताओं को अधिनियम के तहत एमएचआईएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, उसे अधिनियम के तहत कारावास औरध्या दंड का सामना करना पड़ेगा।

दिनांक- 05 अगस्त 2025
स्थान- उज्जैन

एसडी-/अधिकृत अधिकारी
मुथूट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड

कब्जा नोटिस

जबकि, **जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकताओं(ओं) को **मांग नोटिस** जारी किया है, जिसमें उधारकताओं से आह्वान किया गया है कि वे नोटिस की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर संबंधित नामों के समक्ष उल्लिखित राशि को ब्याज सहित उक्त नोटिस में उल्लिखित दरों पर चुकाएं, साथ ही भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि पर ब्याज भी अदा करें।

क्र. सं.	ऋण संख्या	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ गारंटर/बंधककर्ता	13(2) नोटिस दिनांक/ बकाया राशि (रुपये में)	दिनांक/समय और कब्जे का प्रकार
1	46509630000192 और 46509410000357	1) श्री आजाद, पुत्र. सुबराती खान, 2) श्रीमती मरजीना, डब्ल्यू/ओ. आजाद खान	12.05.2025, 04.05.2025 तक 9,63,714.32 रुपये (नौ लाख तिरसठ हजार सात सौ चौदह रुपये और बत्तीस पैसे मात्र)	दिनांकः 01.08.2025 समयः दोपहर 03.00 बजे प्रतीकात्मक कब्जा
	सुरक्षित संपत्ति का विवरणः मकान संख्या 77 वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जिसका कुल क्षेत्रफल 2500 वर्ग फुट (232.34 वर्ग मीटर) है, और उस पर निर्माण कार्य सहित, पुलिस मुख्यालय संख्या 34, ग्राम पंचायत रायपुरा, तहसील कन्नौद और जिला देवास (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। पूर्व में आम सड़क, पश्चिम में खुला मैदान, उत्तर में चौकीदार की जमीन और दक्षिण में चाचा के घर से घिरा है।			
2	46500530000200	1) श्री मुकेश मेवाड़ा, पुत्र केशर सिंह, 2) श्रीमती अनीता बाई मेवाड़ा, पत्नी मुकेश	22.05.2025, 15.05.2025 तक रु. 3,61,303.92 (तीन लाख इकसठ हजार तीन सौ तीन व बानवे पैसे मात्र)	दिनांकः 01.08.2025 समयः शाम 5:00 बजे प्रतीकात्मक कब्जा
	सुरक्षित संपत्ति का विवरणः मकान/प्लॉट संख्या 95 वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट है, और उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है। पुलिस मुख्यालय संख्या 18, ग्राम पंचायत टांडा, तहसील आष्टा और जिला सीहोर (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। पूर्व में सड़क, पश्चिम में महेश का मकान, उत्तर में सुहागमल का मकान और दक्षिण में अरविंद की जमीन।			
3	45579410001333 45579610000031 45579630000327	1) श्री सईद खा, पुत्र बाबू खा, 2) श्रीमती नसीम बी, पत्नी सईद खा	22.05.2025, 15.05.2025 तक रु. 13,50,723.57 (केवल तेरह लाख पचास हजार सात सौ तेईस रुपये और सत्तावन पैसे)	दिनांकः 02.08.2025 समयः दोपहर 12.25 बजे प्रतीकात्मक कब्जा
	सुरक्षित संपत्ति का विवरणः भूमि सर्वेक्षण संख्या 777/1/मिन-31 वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जिसका कुल क्षेत्रफल 1300 वर्ग फुट है। (120.64 वर्ग मीटर), निर्माण सहित, उज्जैन रोड, ग्राम घोसला, पुलिस चौकी क्रमांक 110, ग्राम पंचायत घोसला, तहसील महिदपुर एवं जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। पूर्व में सड़क, पश्चिम में जेतुन बी का मकान, उत्तर में आशिक भाई का मकान और दक्षिण में विक्रेता की शेष भूमि से घिरा है।			
4	32760440000194	1) श्री नानूराम, पुत्र बापूलाल, 2) श्री बाबूलाल, पुत्र कनाजी, 3) श्रीमती कंचन बाई, पत्नी बाबूलाल	19.05.2025, 12.05.2025 तक रु. 4,68,713.13 (चार लाख अड़सठ हजार सात सौ तेरह व तेरह पैसे मात्र)	दिनांकः 02.08.2025 समयः दोपहर 01.30 बजे प्रतीकात्मक कब्जा
	सुरक्षित संपत्ति का विवरणः मकान/भूखंड संख्या 143 वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 1050 वर्ग फुट है, और उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है। यह सर्वेक्षण संख्या 36, पुलिस मुख्यालय संख्या 46 का एक भाग है। यह ग्राम खोरिया पद्मा में, ग्राम पंचायत खोरिया पद्मा, जनपद पंचायत महिदपुर, तहसील झारदा और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। पूर्व में आम सड़क, पश्चिम में सड़क, उत्तर में गली, गिरधारीलाल का मकान और दक्षिण में आत्माराम का मकान।			
5	45579420001451	1) श्री सोदान सिंह परिहार, पुत्र प्रभु सिंह परिहार, 2) श्रीमती विनोद बाई, पत्नी सोदान सिंह	22.05.2025, 15.05.2025 तक रु. 9,64,212.73 (रु. नौ लाख चौसठ हजार दो सौ बारह और तिहत्तर पैसे मात्र)	दिनांकः 02.08.2025 समयः दोपहर 02.25 प्रतीकात्मक कब्जा
	सुरक्षित संपत्ति का विवरणः भूमि सर्वेक्षण संख्या 35/3/2 वाला वह संपूर्ण भूखंड, जिसका कुल क्षेत्रफल 4601 वर्ग फुट (427.32 वर्ग मीटर) है, तथा उस पर निर्माण सहित, ग्राम छज्जूखेड़ी, पुलिस चौकी संख्या 64, आर.एन.एम. में स्थित है। 02, तहसील झारदा एवं जिला उज्जैन (म.प्र.)। पूर्व में प्रधान मंत्री रोड, पश्चिम में विक्रेता की शेष भूमि, उत्तर में विक्रेता की शेष भूमि एवं दक्षिण में तूफान सिंह ठाकुर की भूमि से घिरा हुआ।			
6	32769630000539 और 32769410000594	1) श्री श्रीराम, पुत्र सिद्धू लाल, 2) श्रीमती तेजू बाई, पत्नी सिद्धू लाल	22.05.2025, 15.05.2025 तक रु. 3,46,769.98 (रु. तीन लाख छियालीस हजार सात सौ उनहत्तर और अट्ठानवे पैसे मात्र)	दिनांकः 02.08.2025 समयः अपराह्न 03.30 प्रतीकात्मक कब्जा
	सुरक्षित संपत्ति का विवरणः मकान/प्लॉट संख्या 36 वाला भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 1040 वर्ग फुट है, उस पर निर्माण सहित, खसरा संख्या 69 का भाग, पी.एच. ग्राम पंचायत कढ़ाई, जनपद पंचायत तराना, तहसील तराना एवं जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के अंतर्गत, ग्राम खांकरी ब्राम्हण में स्थित, मकान क्रमांक 17। पूर्व में आम सड़क, पश्चिम में बसंतीलाल, उत्तर में आम सड़क और दक्षिण में रमेशचंद्र, पुत्र हीरालाल।			
7	45579420001501	1) श्री कमल बैरागी, पुत्र सीताराम बैरागी, 2) श्रीमती सुगन बाई, पत्नी सीताराम	19.05.2025, 12.05.2025 तक रु. 5,09,093.77 (पाँच लाख नौ हजार तिरानवे और सतहत्तर पैसे मात्र)	दिनांकः 02.08.2025 समयः सायं 04.50 प्रतीकात्मक कब्जा
	सुरक्षित संपत्ति का विवरणः आवासीय भवन/भूखंड संख्या 83 वाला भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जिसका कुल क्षेत्रफल 60.00 वर्ग मीटर है, तथा उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है। यह सर्वेक्षण संख्या 749/6/1/2 (दक्षिण), पुलिस मुख्यालय संख्या 30 का भाग है। यह वार्ड संख्या 14, ग्राम तराना कस्बा, तहसील तराना और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) में स्थित है। सीमाः पूर्व मेंः बाबू भाई की जमीन, पश्चिम मेंः सर्वे संख्या 749 का शेष भाग, उत्तर मेंः बिछड़ोद रोड और दक्षिण मेंः नाथूलाल परमार की जमीन।			
8	45579430000553 और 45579410001563	1) श्री अजय गिर, पुत्रः दिनेश गिर गोस्वामी, 2) श्री दिनेश गिर गोस्वामी, पुत्रः बापू गिर गोस्वामी, 3) श्री चंद्रकांता बाई, पत्नी। दिनेश गिर गोस्वामी	21.05.2025, 15.05.2025 तक रु. 6,81,899.10 (छह लाख इक्यासी हजार आठ सौ निन्यानवे और दस पैसे मात्र)	दिनांकः 02.08.2025 समयः शाम 5.00 बजे प्रतीकात्मक कब्जा
	सुरक्षित संपत्ति का विवरणः भूमि सर्वेक्षण संख्या 589 का वह समस्त भूखंड, जिसका कुल क्षेत्रफल 753 वर्ग फुट (69.95 वर्ग मीटर) है, तथा उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है, जो ग्राम तराना में, नगर पंचायत तराना, तहसील तराना और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। सीमाः पूर्व में श्रीमती लाड़कुंवर बाई, पश्चिम में आम सड़क, उत्तर में श्री भेरूलाल और दक्षिण में श्री गोपाल सिंह।			

चूंकि, ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिए विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ उपरोक्त तिथियों पर अपने कब्जे में ले लिया है। विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकताओं/सह-उधारकताओं/गारंटर/बंधककताओं और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे उपरोक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और उक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित कोई भी लेन-देन जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

स्थानः इन्दौर
दिनांकः 05.08.2025

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी,
जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के लिए

JANA SMALL FINANCE BANK (A Scheduled Commercial Bank)

पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, सर्वे नं.10/1, 11/2 और 12/2बी, डोम्लुर के पास, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लघट्टा, बेंगलुरु-560071। शाखा कार्यालयः प्लॉट नं.306-ए, पीयू 4, स्कीम नं.54, कंट्री इन होटल के पास, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर, इंदौर-452010।

फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड

PhoenixARC

पंजीकृत कार्यालयः तीसरी मंजिल, वालेस टावर 139-140/बी/1, सहार रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे क्रॉसिंग, विले पार्ले (पूर्व) मुंबई - 400 057. **दूरभाषः** 022- 6849 2450, फैक्सः 022- 6741 2313
सीआईएनः U67190MH2007PTC168303 **ईमेलः** info@phoenixarc.co.in, **वेबसाइटः** www.phoenixarc.co.in

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के साथ। इसके द्वारा आम जनता और विशेष रूप से उधारकताओं/गारंटरों/बंधककताओं को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड - समनुदेशक के रूप में जाना जाता था) द्वारा ऋण के समनुदेशन के अनुसरण में फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड को गिरवी रखी गई निम्नलिखित संपत्ति, बकाया राशि और आगे के ब्याज, शुल्क और लागत आदि की वसूली के लिए "जैसी है जहाँ है, जैसी है और बिना किसी सहारे के" के आधार पर "ऑनलाइन ई-नीलामी" के माध्यम से बेची जाएगी, जैसा कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 और 9 के साथ सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नीचे विस्तार से बताया गया है। 2002) को वेबसाइटः www.phoenixarc.co.in/ के माध्यम से नीचे दिए गए विवरण के अनुसार खरीदा जा सकता है।

ई-नीलामी की तिथि और समयः 27-08-2025 / सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

सं. क्र.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ ऋण खाता	मांग सूचना की तिथि और राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य, अग्रिम राशि और अग्रिम राशि जमा करने की अंतिम तिथि
1	लैनः एलएक्सआईएनडी00316-170030514 शाखाः इंदौर उधारकर्ताः आशिक कमरुद्दीन खान सह-उधारकर्ताः सैजाद कमरुद्दीन खान	**25-05-2021 रु. 821376/- (रुपये आठ लाख इक्कीस हजार तीन सौ छिहत्तर मात्र)**	दक्षिण भाग का उत्तरी भाग, मु. मकान 51, लाबरिया भेरू, इंदौर, क्रमांक-मध्यप्रदेश-452001	आरक्षित मूल्यः रु. 5,50,000/- (पाँच लाख पचास हजार मात्र) अग्रिम जमाः रु. 55,000/- (पचपन हजार मात्र) अग्रिम जमा की अंतिम तिथिः 26-08-2025
2	लैनः एलएक्सकेएचए00117-180055285 शाखाः खरगोन उधारकर्ताः राहुल कुमार डोंगरे सह-उधारकर्ताः पूणानंद रामेश्वर डोंगरे	**23-12-2020 रु. 608874/- (रुपये छह लाख आठ हजार आठ सौ चौहत्तर मात्र)**	पी. एच. नं.-49, ग्राम सगुर, भीकांगन, खरगोन, खरगोन, मध्य प्रदेश - 451331	आरक्षित मूल्यः रु. 5,00,000/- (पाँच लाख मात्र) अग्रिम जमाः रु. 50,000/- (पचास हजार मात्र) अग्रिम जमा की अंतिम तिथिः 26-08-2025
3	लैनः एलएक्सपीआईटी00316-170024845 शाखाः पीथमपुर उधारकर्ताः दिनेश मदनलाल चौधरी सह-उधारकर्ताः ज्योत्सना दिनेश चौधरी	**15-11-2019 रु. 450478/- (रुपये चार लाख पचास हजार चार सौ अठहत्तर मात्र)**	क्रमांक 381/1/6, 381/2खा/2, 381/2घा/1, 381/2डी/2, 381/2चा/1, पटवारी हल्का नंबर 61 एवं 122, वार्ड नंबर 14, कैलाश कॉलोनी, पीथमपुर, इंदौर, धार, मध्य प्रदेश 454775	आरक्षित मूल्यः रु. 4,00,000/- (चार लाख मात्र) अग्रिम जमाः रु. 40,000/- (चालीस हजार मात्र) अग्रिम जमा की अंतिम तिथिः 26-08-2025
4	लैनः एलएक्सकेएचए00216-170044420 शाखाः खरगोन उधारकर्ताः ममता संजय जोशी सह-उधारकर्ताः संजय सुभाष जोशी	**25-10-2018 रु. 446124/- (चार लाख छियालीस हजार एक सौ चौबीस) 25-10-2018**	क्रमांक 99 वार्ड क्रमांक 03 ग्राम पीपलगांव, तह. कसरावद, जिला. खरगोन पीपलगांव खरगोन मध्य प्रदेश 451228	आरक्षित मूल्यः रु. 5,00,000/- (पाँच लाख मात्र) अग्रिम जमाः रु. 50,000/- (पचास हजार मात्र) अग्रिम जमा की अंतिम तिथिः 26-08-2025
5	लैनः एलएक्सबीएचओ00215-160020090 शाखाः भोपाल उधारकर्ताः कुश कुमार दयाकिशन शर्मा सह-उधारकर्ताः सागर दयाकिशन शर्मा	**05-02-2018 रु. 758450/- (सात लाख अट्ठावन हजार चार सौ पचास मात्र)**	प्लॉट नंबर एफ-19, खसरा नंबर 435 का एक हिस्सा, आनंद नगरफेस-ली भूगोर, आनंद नगर 465333 कालापीपल शाजापुर मध्य प्रदेश में स्थित है	आरक्षित मूल्यः रु. 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार मात्र) अग्रिम जमाः रु. 35,000/- (पैंतीस हजार मात्र) अग्रिम जमा की अंतिम तिथिः 26-08-2025

ई-नीलामी के नियम और शर्तेंः 1. नीलामी बोली दस्तावेज के आगे के नियमों और शर्तों और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाती है। बोलीदाता बोली संबंधी जानकारी और सहायता, ई-नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्ति का विवरण और ऑनलाइन जमा किए जाने वाले बोली फॉर्म के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता, मेसर्स मेसर्स आर्का ईमार्ट प्राइवेट लिमिटेड वेब पोर्टलः https://www.auctionbazaar.com/ पर जा सकते हैं। इच्छुक खरीदार उसी पोर्टल पर नीलामी के नियम और शर्तें और प्रक्रिया देख सकते हैं और तरुण रघुवंशी 9329414448 और विजय सिंह 9372505110, शैलेश अयंगर 9833801159 से संपर्क कर सकते हैं, विवरण उपर्युक्त वेब पोर्टल पर उपलब्ध हैं और उनके केंद्रीकृत हेल्प डेस्कः +91 83709 69696, ई-मेल आईडीः contact@auctionbazaar.com पर संपर्क कर सकते हैं। 2. सभी इच्छुक क्रेताओं/बोलीदाताओं को उपरोक्त पोर्टल https://www.auctionbazaar.com/ पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा और उपरोक्त तिथि और समय पर ई-नीलामी में भाग लेने के लिए निःशुल्क यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा। 3. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक क्रेताओं/बोलीदाताओं को सुरक्षित संपत्ति के आरक्षित मूल्य के 10% की वापसी योग्य बयाना राशि के भुगतान का विवरण, पैनकार्ड की प्रतियों, कंपनी के मामले में बोर्ड के प्रस्तावों और पते के प्रमाण के साथ उपरोक्त ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले जमा करना होगा। इच्छुक क्रेताओं/बोलीदाताओं को ऊपर वर्णित प्रत्येक वस्तु/संपत्ति के लिए अलग-अलग ईएमडी जमा करनी होगी। 4. नीलामी के किसी भी चरण में, प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्व सूचना के बोली/प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार/संशोधित/रद्द कर सकता है या नीलामी स्थगित कर सकता है। 5. सफल क्रेता/बोलीदाता को लागू कानून के अनुसार सुरक्षित संपत्ति को अपने पक्ष में हस्तांतरित/सुपुर्द करवाने के लिए देय सभी वैधानिक बकाया, कर, देय शुल्क, क्रय मूल्य पर लागू जीएसटी, स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि का भुगतान करना होगा। 6. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले, भार, नीलामी में रखी गई सुरक्षित संपत्ति के स्वामित्व और सुरक्षित संपत्तियों को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकायों, जिनमें वैधानिक बकाया आदि शामिल हैं, के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। नीलामी विज्ञापन फीनिक्स की किसी भी प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही करेगा। फीनिक्स का अधिकृत अधिकारी किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। 7. संभावित/इच्छुक बोलीदाता को यह वचन देना होगा कि वह दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 29 (ए) के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य नहीं है और केवाईसी दस्तावेजों के साथ ऐसा वचन देने में विफल रहने पर उसे स्वतः ही अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा या उसकी बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

स्थानः मध्य प्रदेश
दिनांकः 05.08.2025

अनुवाद में त्रुटिया विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा

हस्ताक्षरकर्ता/-
प्राधिकृत अधिकारी, फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर, महाराष्ट्र
All India Institute of Medical Sciences, Nagpur (Maharashtra)

Plot No. 2, Sector - 20, MIHAN, Nagpur, Pin: 441108,
https://aiimsnagpur.edu.in

Advt. No. Admin-I/SR/25/04 | **Dated: 05/08/2025**

Opening Date 05/08/2025 Closing Date 19/08/2025

Under the residency scheme of Govt. of India, **108 Senior Residents (Non-Academic)** are to be recruited for AIIMS Nagpur. In this regard, application is invited by the Executive Director, AIIMS Nagpur.

Sl. No.	Name of the Department	Number of Vacancy					
		UR	OBC	SC	ST	EWS	Total
1	Anaesthesiology	3	3	-	-	1	7
2	Anatomy	1	-	1	-	-	2
3	Biochemistry	-	1	1	1	-	3
4	Burns & Plastic Surgery*	1	1	-	-	-	2
5	Cardiology*	2	-	-	-	-	2
6	Cardiothoracic Surgery*	-	1	1	1	1	4
7	Community Medicine	-	1	-	-	-	1
8	Dentistry (Paediatric & Preventive Dentistry)@	-	-	1	-	-	1
9	Dentistry (OMFS)@	-	-	-	-	1	1
10	Dermatology	1	-	1	-	-	2
11	Endocrinology*	1	-	-	-	-	1
12	ENT	-	-	1	-	-	1
13	General Medicine	1	2	-	2	1	6
14	General Surgery	1	2	2	1	-	6
15	Hospital Administration	-	1	-	-	-	1
16	Medical Gastroenterology*	2	1	1	-	-	4
17	Medical Haematology*	2	2	-	1	-	5
18	Microbiology	-	-	-	1	1	2
19	Nephrology*	2	1	-	-	-	3
20	Neurosurgery*	-	1	1	-	1	3
21	Nuclear Medicine	1	1	-	1	-	3
22	Obstetrics and Gynaecology	1	1	-	-	1	3
23	Ophthalmology	-	1	-	-	1	2
24	Orthopedics	1	1	2	1		5
25	Paediatrics Surgery*	1	1	-	-	-	2
26	Paediatrics	-	-	1	-	-	1
27	Pathology	2	1	-	-	1	4
28	Physical Medicine and Rehabilitation	-	-	1	-	1	2
29	Psychiatry	1	-	1	-	-	2
30	Pulmonary Medicine*	1	-	-	1	-	2
31	Radiodiagnosis	3	1	-	-	1	5
32	Radiotherapy	-	-	1	1	-	2
33	Rheumatology and Clinical Immunology*	-	1	-	-	1	2
34	Surgical Gastroenterology*	1	1	1	-	-	3
35	Surgical Oncology*	1	-	-	-	-	1
36	Trauma & Emergency#	3	4	2	-	1	10
37	Urology*	-	1	-	-	1	2
	Total	**33**	**31**	**19**	**11**	**14**	**108**

Pay scale-Rs. 67700/- (As per 7th CPC in Level- 11, Cell No. 1), Allowances as applicable. Please visit our website **https://aiimsnagpur.edu.in**. For details like Application Form, Eligibility Criteria, etc., and for any info/updates.

Executive Director
AIIMS, Nagpur